न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पंचायत निगरानी संख्या 18 / 16 RCMS NO.(2017 / 00108) **वर्ष 2016**

बउनवानीः—

1. तेज सिंह पुत्र अमर सिंह राजपूत निवासी हरसोता तहसील बौली जिला स0मा0
2. दशरथ सिंह पुत्र अमर सिंह राजपूत निवासी हरसोता तहसील बौली जिला स0मा0

बनाम

1. ग्राम पंचायत बडागांव सरवर जरिये सरपंच, बडागांव सरवर तहसील बौंली, जिला सवाईमाधोपुर

(निगरानी पटटा संख्या 13 आदेश दिनांक 5.11.2015 सरपंच ग्राम पंचायत बडागांव सरवर के विरूद्व अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम,1994)

उपस्थितः—1. श्री नवीनशंकर नागर वकील निगरानीकार

2. श्री जितेन्द्र शर्मा वकील अप्रार्थी

—: निर्णय :— दिनांक 15.01.2020

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी ,ग्राम पंचायत बडागांव सरवर द्वारा दिनांक 5.11.2015 को जारी पटटा संख्या 13 के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि उक्त आदेश दिनांक 5.11.2015 अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षीगणों की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी ।

वकील प्रार्थी ने दौराने सुनवायी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 5.11.2015 को पटटा संख्या 13 तथ्य एवं विधि के विपरीत जाकर जारी किया गया है। यह तर्क भी दिया कि निगरानीकर्ता का एक बाडा अर्सा 50 वर्ष पूर्व से पूर्वजो के जमाने से वाके ग्राम हरसोता मे आबादी के नजदीक बौंली सवाईमाधोपुर रोड़ पर 120 x55 फुट का स्थित है जिसके उत्तर दिशा मे पक्की बाउण्ड्री 30 वर्ष पुरानी बनी हुई है बाडे मे दो कच्चे कमरे बने हुए है एवं नीम व बबूल के पेड लगे हुए है। निगरानी गुजार के पिता स्व0 अमर सिंह का सम्पूर्ण जीवन इसी बाडे मे गुजरा है वर्तमान में निगरानी गुजार की मवेशिया उनका चारा एवं कृषि उपकरण रखने के काम आता है सपरंच ग्राम पंचायत निगरानी गुजार से चुनावी रंजिश रखता है जिसके चलते सरपंच ग्राम पंचायत निगरानी गुजार को हर स्तर पर अपने पद का दुरूपयोग कर हानि पहुॅचाने की कोशिश पर उतारू रहता है। जिसके चलते निगरानी गुजार के उक्त बाडे को हडपने के उददेश्य से निगरानी गुजार के बाडे के स्थान पर विधि के प्रावधानों के विपरीत सामुदायिक भवन के नाम पर एक पटटा जारी कर दिया है जिसके विरूद्व निगरानी प्रस्तुत की गयी है। क्योकि यह पटटा राजस्थान पंचायत अधिनियम के विपरीत जारी किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि निगरानी गुजार के बाडे पर सरपंच ग्राम पंचायत ने अवैधानिक रूप से कब्जा करने की मंशा जाहिर होने पर प्रार्थी द्वारा एक दीवानी वाद न्यायालय सिविल न्यायाधीश बौंली के सम्मुख बाबत स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया जिसमे सिविल न्यायाधीश ने निगरानी गुजार के दावे को प्रथम दृष्टया सही मानते हुए ग्राम पंचायत को बाडे की स्थिति को यथावत बनाये रखने के आदेश जारी किया है चूंकि उक्त पटटा प्रार्थी के बाडे की भूमि का बनाया गया है जो निरस्त योग्य है। यह तर्क भी दिया उक्त सामुदायिक भवन के लिए बनाये गये पटटे हेतु आम जनता की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना बताया गया है जबकि ऐसा कोई प्रार्थना पत्र किसी भी व्यक्ति ने पेश नही किया है रिकार्ड पर यह भी अंकन नही है कि आम जनता की ओर से किस व्यक्ति द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। यह तर्क भी दिया कि पटटा जारी करने से पूर्व आपत्ति नोटिस भी जारी नही किया है किन्तु निर्णय मे उक्त आपत्ति नोटिस जारी करना बताया गया है, इसके अतिरिक्त मौका रिपोर्ट भी बनावटी एवं प्रिन्टेड प्रोफार्मा पर सचिव द्वारा लिखी गयी है जिस पर सरपंच के पक्ष के वार्ड पंचो के हस्ताक्षर ग्राम पंचायत भवन में कराये गये है जिसमे विवादित स्थान को खाली बताया गया है जबकि मौके पर 50 वर्ष पुराने

डॉ० एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

निगरानी गुजार का कब्जा चला आ रहा है। पटटे में विवादित स्थल के पश्चिम में खाली भूमि ग्राम पंचायत की बतायी गयी है जिसमे भी सामुदायिक भवन बनाया जा सकता है किन्तु निगरानी गुजार के बाडे पर सामुदायिक भवन बनाना सरपंच की रंजिश को दर्शाता है। उक्त संबंध में सिविल न्यायालय मे प्रकरण जैरकार है ऐसी स्थिति में प्रार्थी की ओर प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम पंचायत बडागांव सरवर द्वारा जारी पटटा निरस्त करने बाबत वकील निगरानी गुजार द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर निगरानी विधिसम्मत है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। यह तर्क भी दिया कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पटटा किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष मे जारी नही किया गया है बल्कि यह पटटा आम जनता द्वारा दिनांक 24.9.2015 को प्रार्थना पत्र सामुदायिक भवन हेतु पटटा जारी करने बाबत प्रस्तुत करने पर मिसल संख्या 8 संघारित की जाकर विधिवत रूप से दिनांक 1.10.2015 को मौका दिखवाया जाकर दिनांक 5.10.2015 को आपत्ति नोटिस जारी किया जिसमे स्पष्ट लिखा है कि उक्त स्थान का पटटा जारी करने पर किसी को आपत्ति हो तो एक माह मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने बाबत जारी करने के उपरान्त निगरानी कर्ता अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी। इसके अतिरिक्त सामुदायिक भवन हेतु प्रस्तावित भूमि के संबंध में कजोड योगी एवं धनसिंह कोठयारी के लिये गये बयानों भी उक्त भूमि खाली बतायी गयी है। इस प्रकार उक्त पटटा जारी करने से पूर्व सम्पूर्ण कार्यवाही विधिवत की जाकर ही सामुदायिक भवन हेतु पटटा जारी किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। जहॉ तक सिविल न्यायालय मे जैरकार वाद का प्रश्न है तो उक्त वाद खारिज हो चुका है। इसलिए निगरानी गुजार की ओर से प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाकर आदेश जैर निगरानी यथावत रखने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया है।

वकील उभयपक्षों की और से दौराने बहस प्रस्तुत तथ्यों को श्रवण करने एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि ग्राम पंचायत बडागांव सरवर को आम जनता द्वारा दिनांक 24.9.2015 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सामुदायिक भवन हेतु पटटा जारी करने बाबत निवेदन किया जाने पर मिसल संख्या 8 संघारित की जाकर विधिवत रूप से दिनांक 1.10.2015 को मौका दिखवाया जाकर दिनांक 5.10.2015 को आपत्ति नोटिस जारी कर एक माह मे अपनी आपत्तिया आमंत्रित की जाने के उपरान्त निगरानी कर्ता अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा आपत्ति प्रस्तुत नही करने एवं सामुदायिक भवन हेतु प्रस्तावित भूमि खाली होने की पुष्टि कजोड योगी एवं धनसिंह कोठयारी बयान से हो जाने पर विधिवत तरीके से पटटा जारी किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत बडागांव सरवर द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही विधिवत की सम्पादित जाकर ही सामुदायिक भवन हेतु उक्त पटटा जारी किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नही है। वकील प्रार्थी द्वारा अपने कथन मे उक्त पटटा अवैधानिक तरीके से जारी करना एवं अपने कब्जेशुद्वा भूमि का जारी करना बताया गया है किन्तु कथन के समर्थन मे ऐसा कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही किया जिसके आधार पर उसके द्वारा किये गये कथन की पुष्टि हो सके। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पटटा सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पादित कर खाली भूमि का जारी किया गया। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत मित्रपुरा द्वारा विधिसम्मत पारित आदेश जैर निगरानी मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर आदेश जैर निगरानी यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.1.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2020.01.30 16:50:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: